विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर-

	प्रश्न	उत्तर
29-	(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-चरौहा, परगना- ग्वारिच, तहसील-करनैलगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की नम्बरी, भूमि को कूटरचित तरीके से स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपने नाम राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत करा दिया गया है जिसके क्रम में उक्त जनपद के तरबगंज थानें में एफ०आई०आर० नं0-0492 भी पंजीकृत की गयी है?	अवगत कराना है कि वादी श्री राजपति सिंह पुत्र श्री रामनरेश सिंह, निवासी-चरौहा, परगना ग्वारिच, थाना-करनैलगंज, जनपद-गोण्डा की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना-तरबगंज, जनपद-गोण्डा द्वारा मु0अ0सं0-492/2024, धारा-419,420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 दिनांक 18.11.2024 को पंजीकृत किया गया, जिसमें संजू देवी उर्फ गायत्री देवी कथित पुत्री मृतक राजपति सिंह पुत्र रामनरेश सिंह निवासी महेशपुर, नवाबगंज, गोण्डा एवं स्वतंत्र कुमार शुक्ला लेखपाल ग्राम महेशपुर निवासी अज्ञात, तरबगंज को अभियुक्त बनाया गया है।
	(ख) क्या उपरोक्त के संबंध में शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु पीड़ितों द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31 जनवरी, 2025 के मध्य जिलाधिकारी गोण्डा को भी प्रार्थना-पत्र दिया गया है?	जी नहीं।
	(ग) उपरोक्तानुसार कब तक न्यायोचित कार्यवाही कराते हुए पीड़ितों के साथ मिलीभगत करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही करायेंगे?	प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है । सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।